न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 54/11

1. सूरज मल आत्मज स्व0 रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. बृजमोहन आत्मज स्व0 श्री रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. रमेश आत्मज स्व0 रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शोभाग मल आत्मज श्री नाथूलाल जाति महाजन निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 07.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खसरा नम्बर 3557 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 3558 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 3698 रकबा 0.71 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 1 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पर प्रतिवादी कम 1 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । प्रतिवादी कम 1 ने सन् 1979 में उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण व उनके पूर्वजों व बहिनों के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी बून्दी में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया था । उक्त भूमि का इंतकाल प्रतिवादी कम 1 के नाम इंतकाल संख्या 133 दिनांक 26.02.1976

तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा तस्दीक किये जाने पर वादी क्रम 1 ने उसकी अपील न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) में की थी जो दिनांक 18.10.1985 को निर्णित की जाकर प्रतिवादी क्रम 1 के नाम का इंतकाल निरस्त कर दिया गया । उक्त वाद दिनांक 08.02.1988 को न्यायालय सहायक कलक्टर पाटन के द्वारा डिक्री कर दिये जाने पर वादीगण व उनकी बहिनों द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने स्वीकार करते हुए सहायक कलक्टर के0 पाटन के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.1988 को निरस्त कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.10.1997 के द्वारा खारिज कर दिया । उक्त वाद में वादीगण द्वारा इस आशय का प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी क्रम 1 का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है न ही उसने उक्त भूमि को कभी काश्त किया है उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ही पिछले 30 वर्षों से काबिज काश्त है । वादीगण उक्त भूमि पर पिछले 40 वर्षों से लगातार काबिज काश्त चले आने से वे कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त भूमि के खातेदार हो चुके हैं । प्रतिवादी क्रम 1 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (4) के अनुसार कब्जा करने का अधिकार समाप्त हो चुका है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को संयुक्त रूप से सहखातेदार हिस्सा बराबर के रूप में घोषित किया जावे और राजस्व रिकॉर्ड में अंकित प्रतिवादी के नाम को विलोपित कर वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह राज्य सरकार से या राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय या संस्था से उक्त भूमि की अवाप्ति राशि प्राप्त नहीं करे और न ही ऐसा करने हेतु किसी को अधिकृत करे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में तनकी नम्बर 01 का निर्णय आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्रतिवादी ने वादीगण के विरूद्ध बेदखली का वाद दायर किया था जो राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज किया जा चुका है और उक्त भूमि पर अपीलान्ट वादीगण का ही कब्जा माना गया है । रिसीवर की कार्यवाही दौराने वाद एक अंतरिम कार्यवाही होती है जो वाद के निर्णय के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाती है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का है । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा 40 वर्षों से माना है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त

हो चुका है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के खिलाफ वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु दावा पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । प्रतिवादी ने वादीगण के विरूद्ध बेदखली का दावा पेश किया जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी खारिज किया जा चुका है । आराजी पर वादीगण अपीलान्ट का कब्जा माना गया है । रिसीवर की कार्यवाही अंतरिम कार्यवाही होती है मात्र 01 वर्ष के लिए रिसीवरी से काश्त करवायी थी । विवादित आराजी पर कब्जा वादीगण का है प्रतिवादी का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका है । उनके खातेदारी अधिकार भी धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं । वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का विवेचन विधि –विरूद्ध रूप से किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी तालाब पेटा की है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता । साथ ही उक्त भूमि पैराफेरी एरिया की है जिसमें से कुछ आराजी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अवाप्त की जा चुकी है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादीगण अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 3557 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 3558 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 3698 रकबा 0.71 हैक्टर भूमि वाके ग्राम लाखेरी जिला बून्दी के लिए यह दावा पेश किया है और दावे में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 के गैर खातेदारी में दर्ज है । दावे में कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा की प्रार्थना की है जिसके बाबत् प्रतिवादी कम 1 के द्वारा जवाब पेश किया गया था ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनाक 12 जुलाई, 2005 की प्रति प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2060–63 प्रदर्श–2 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी शोभागमल के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3, नकल निर्णय अतिरिक्त जिलाधीश बून्दी प्रदर्श–4 संलग्न है जिसमें वादी अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करते हुए शोभागमल के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण को निरस्त किया है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय की प्रति प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसमें यह निर्णय पारित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट अपने खातेदारी अधिकार सिद्ध नहीं कर देता है तब तक धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं

माना जा सकता है । साथ ही इसमें यह भी अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 2647 राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन से पूर्व पेटा काश्त प्रमाणित है जिसे विधिवत आवंटन होना नहीं माना जा सकता । तद्नुसार पुनरावेदन को स्वीकार कर राज्य सरकार को अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही के लिए अधिकार प्रदत्त माना है और रेस्पोडेन्ट का धारा 188 एवं 183 का अधिकार नहीं माना है । माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 24.10.1997 प्रदर्श– 7 संलग्न है जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय को यथावत रखा गया है ।

12. वादी की ओर से पत्रावली पर बयान सूरजमल पीडब्ल्यू–1, रमेश पीडब्ल्यू–2, जगन्नाथ पीडब्ल्यू–3, जमना लाल पीडब्ल्यू–4, बृजमोहन पीडब्ल्यू– 5 कराए गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान शोभाग मल डीडब्लयू– 1 कराये गये हैं ।

14. वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवादी के गैर खातेदारी में दर्ज थी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2647 जिसके हाल खसरा नम्बर 3557 एवं 3558 कायम किये गये हैं पेटा तालाब की भूमि है और आवंटन योग्य नहीं है । साथ ही पत्रावली पर जो प्रदर्श– 1 के रूप में नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना संलग्न है उसके अनुसार खसरा नम्बर 3558 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि राजस्थान आवासन मण्डल के लिए अवाप्त की गई है । वैसे भी कृषि भूमि पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के निर्णय के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

15. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादीगण खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 54/11

1. सूरज मल आत्मज स्व0 रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. बृजमोहन आत्मज स्व0 श्री रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. रमेश आत्मज स्व0 रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. शोभाग मल आत्मज श्री नाथूलाल जाति महाजन निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 53/दावा/2006

1. सूरज मल आत्मज स्व0 रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. बृजमोहन आत्मज स्व0 श्री रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशन तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. रमेश आत्मज स्व0 रामकुंवार जाति मीणा निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. शोभाग मल आत्मज श्री नाथूलाल जाति महाजन निवासी लाखेरी स्टेशनर तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री विनय सक्सेना एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.04.2011 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 07.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

7/6/19

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा